**न्यायालय सिविल जज जू०डि०, खलीलाबाद स्थान–बस्ती**
**मूलवाद सं० 115/2020**
**फजलुर्रहमान बनाम अस्ताना हजरत**
**C.N.R.No. UPBS120001512020**

**17.03.2020**

पेश हुआ। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर वादी अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित आराजियात वर्णित सम्पत्ति सूची प्रदर्शित वादपत्र के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। अपने कथन के समर्थन में सूची 10 ग 1 द्वारा नकल दस्तावेज बैनामा 11 ग 1/1 लगायत 11 ग 1/12, नकल खतौनी 16 ग 1 व 17 ग 1, दाखिल किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेज बैनामा की मंसूखी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादी को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

**आदेश**

प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक–30.03.2020 को पेश हो।

सिविल जज जू०डि०
खलीलाबाद स्थान– बस्ती
(J.O.Code UP 2272)

**निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग२**

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8 ग 2 विशेष वाहक हेतु प्रस्तुत किया गया है। स्वीकार किया जाता है, वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज जू०डि०
खलीलाबाद स्थान– बस्ती
(J.O.Code UP 2272)